इस मंत्रालय के दिनोक समय-समय पर संशोधित 31.08.78 के कार्यालय ज्ञापन आदेश संख्या 19029/1/78 ड़ IV (ख), के संबंध में, वाहन भत्ता केंद्रीय सरकार या नियमित संस्थानों (कार्य-प्रभारित स्टाफ सहित) के ऐसे सभी कर्मचारियों को स्वीकार्य है जो दृष्टिहीन या मामूली रुप से अस्थि विकलांग निम्नांगों की विकलांगता से ग्रस्त हैं। इन आदेशों को लागू होने के परिणाम स्वरुप,ऐसा वाहन भत्ता समाप्त कर दिया जाएगा और इसके बजाय इन आदेशों के अंतर्गत ऐसे सभी कर्मचारियों को अबनिर्धारित सामान् यदरों से दुगुना पर व्हिन भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

ऐसे विकलांग कर्मचारी जिन्हें कार्य स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर सरकारी आवास मुहैया कराया गया है, या जिनका कार्यस्थल और आवास स्थान एक ही परिसर में है तो उन्हें भत्ता सामान्य दरों पर स्वीकार्य होगा जैसा कि इन नियमों के अंतर्गत लागू है। यदि ऐसे कर्मचारियों को सरकारी वाहन की सुविधा दी गई है, तो यह भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। यह भत्ता छुट्टी, प्रशिक्षण दौरे इत्यादि के कारण 30 दिनों से अधिक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के दौरान स्वीकार्य नहीं होगा। (परिशिष्ट-IV)।

वाहन भत्ता

म सं0	कर्मचारी का वेतनमान	परिवहन दर (रुपए में)	भत्ता प्रतिमाह
		“क -1 “/ “क “ वर्ग नगर	अन्य स्थान
1.	8000-13500 रुपए या इससे अधिक के वेतनमान में वेतन ले रहे कर्मचारी	800	400
2.	6500-6900 रुपए या इससे अधिक किन्तु 8000-13500 रुपए से कम के वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारी	400	200
3.	6500-6900 रुपए से कम के वेतनमान में कम वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारी	100	75